

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तीस'

[10/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 5590]

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-5590 के प्रश्नांश-(क) की जानकारी
मान. विधायक- श्री इन्दर सिंह परमार, सदन में उत्तर देने की दिनांक 10.03.2017

क्र.	सोलर पम्प क्षमता	अनुदान	किसान का अंश	टीप
1.	3 एच.पी. तक	90%	10%	-
2.	3 एच.पी. से अधिक 5 एच.पी. तक	85%	15%	-
3.	5 एच.पी. से अधिक	5 एच.पी. का अनुदान अधिकतम	शेष राशि किसान द्वारा	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के अनुदान अन्तर्गत
		50%	50%	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन के अनुदान अन्तर्गत